

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं० दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

निकट-ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड,

गढ़ीकैन्ट, देहरादून ।

दिनांक 13 फरवरी, 2019

संख्या- 7023/2-6-662/2018-19

:-कार्यालय आदेश:-

शासनादेश संख्या-771/VI(1)/2018-03(13) 2019, दिनांक 24 मार्च, 2018 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत दो योजनायें व भारत सरकार की पी०आई०डी०डी०सी० के अन्तर्गत स्वीकृत दो योजनायें इस प्रकार कुल 04 योजनाओं हेतु रू० 1546.01 लाख (रू० पन्द्रह करोड़ छियालीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिस के अन्तर्गत "रामनगर में कन्वेन्सन सेन्टर का निर्माण (केन्द्र वित्त पोषित पी०आई०डी०डी०सी० योजना)" हेतु अवशेष धनराशि रू० 400.00 लाख अवमुक्त की गयी थी। जिसमें से रू० 200.00 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्माण इकाई को अवमुक्त की जा चुकी है, तथा अवशेष धनराशि रू० 200.00 लाख उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के इलाहबाद बैंक खाता संख्या-50397999674 शाखा गढ़ीकैन्ट देहरादून में जमा है।

उपरोक्त के क्रम में पूर्व में निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू० 371.47 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर मयफोटोग्राफ सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। जिसके क्रम में निर्माण इकाई द्वारा की गयी मांग के क्रम में अवशेष बची धनराशि **रू० 200.00 लाख में से रू० 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)** की धनराशि आहरित कर निर्माण इकाई ब्रिज, रोप-वे, टनल एण्ड अद इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल) को निम्न विवरणानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	आगणन की लागत धनराशि	पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि	अवशेष बची स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 आहरित की जा रही धनराशि	निर्माण इकाई/धनराशि जिसके नाम पर आहरित की जा रही है।
1	रामनगर में कन्वेन्सन सेन्टर का निर्माण (केन्द्र वित्त पोषित पी०आई०डी०डी०सी० योजना)	571.47	371.47	200.00	150.00	प्रबन्ध निदेशक, ब्रिज, रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल)
	योग:-	571.47	371.47	200.00	150.00	

(रू० एक करोड़ पचास लाख मात्र)


2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उक्त धनराशि को आहरित कर ई-पेमेन्ट के माध्यम से सम्बन्धित निर्माण इकाई के पक्ष में भुगतान करेंगे।

3- प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल (ब्रिज, रोप-वे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड) का ई-मेल से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:-

1	TIN No.	05008834106
2	PAN No.	AABCU0338F
3	ADDRESS	BRIDCUL Near ITI
4	Mobile No.	91- 9456590753
5	SERVICE TAX NO.	AABCU0338FST001
6	E-MAIL I.D.	usidel@gmail.com usidel@yahoo.com
7	BANK NAME	PUNJAB NATIONAL BANK,
8	ACCOUNT NO.	15560021000130177
9	BANK ADDRESS	PNB Indra Nagar Dehradun
10	IFSC CODE	PUNB0155600


office order 2018-19

- 4- प्रबन्ध निदेशक, ब्रिज, रोपवे टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (ब्रिडकुल) देहरादून को भुगतान की जा रही धनराशि रू0 150.00 लाख पर नियमानुसार 2 प्रतिशत आयकर रू0 3.00 लाख (रू0 तीन लाख मात्र) की आयकर कटौती की जायेगी।
- 5- धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों एवं कार्यालय आदेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।
- 6- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद कदापि व्यय न की जाय।
- 8- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 9- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- 10- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य) स्थिति की दशा में ही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- 12- व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2017 एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 13- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2019 तक अवश्य कर लिया जाय।
- 14- मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1355/VIII/16-27(श्रम)/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 के अनुपालन में निर्माण कार्यों की कुल अनुमोदित डी0पी0आर0 का 01% उपकर राशि की कटौती करते हुये इस धनराशि को सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में करना सुनिश्चित किया जाये।
- 15- अवशेष धनराशि का भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा कार्य संतोषजनक होने के उपरान्त की जायेगी।


(दिलीप जावलकर)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पू0प0संख्या- 7023 / (1) / 2018-19, समदिनांकित ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
 - 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।
 - 3- जिलाधिकारी नैनीताल ।
 - 4- सचिव पर्यटन/अपर सचिव पर्यटन,, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
 - 5- प्रबन्ध निदेशक, ब्रिडकुल, निकट आई0टी0आई0 माजरा देहरादून ।
 - 6- परियोजना प्रबन्धक, ब्रिडकुल रौतेला कालोनी छोटी मुखानी पो0ओ0 बडी मुखानी हल्द्वानी नैनीताल
 - 7- आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय ।
 - 8- जिला पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल ।
 - 9- लोक सूचना अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, देहरादून ।
 - 10- एन0आई0सी0 को बेवसाइड हेतु/सम्बन्धित फाईल हेतु/गार्ड फाइल ।


(जयपाल सिंह तोमर)
 निदेशक वित्त

office order 2018-19